

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019¹

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 2019]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 2021
उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2021
उ० प्र० अधिनियम संख्या 03, 2022
उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 2022
उ० प्र० अधिनियम संख्या 08, 2023
उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 2023
उ० प्र० अधिनियम संख्या 10, 2023
उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2023
उ० प्र० अधिनियम संख्या 01, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 12, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 20, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2024
उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 2025
उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 2025

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 05 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और उ०प्र० गजट असाधारण में दिनांक 06 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुआ।]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (ए०आई०सी०टी०ई०) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड और नियोजन बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

२(गक) "महाविद्यालय" का तात्पर्य राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 'सम्बद्ध' अथवा 'सहयुक्त' महाविद्यालय से है;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

1. उद्देश्य व कारण हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखिये।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2021 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया गया।

- (गख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् से है;]
- (घ) "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" (सी0एस0आई0आर0) का तात्पर्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से है जो केन्द्र सरकार की एक निधि प्रदानकर्ता अभिकरण है ;
- (ङ) "विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र सम्मिलित है;
- (च) "निदेशक" का तात्पर्य किसी संस्था, केन्द्र या विद्यालय के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति से है;
- (छ) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" का तात्पर्य केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हैं;
- (ज) "कर्मचारी" में विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;
- (झ) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;
- (ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
- (ट) "शासी निकाय" का तात्पर्य प्रायोजक निकाय द्वारा गठित किसी समिति से है;
- (ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों/छात्रों के छात्रावास से है;
- (ड) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्" (आई0सी0ए0आर0) का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से है;
- (ढ) "संस्थान/स्कूल" का तात्पर्य इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान या स्कूल से है;
- (ण) "भारतीय चिकित्सा परिषद्" (एम0सी0आई0) का तात्पर्य भारतीय चिकित्सा परिषद्, 1956 के अन्तर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद् से है;
- (त) "अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसी धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;
- (थ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्"(एन0ए0ए0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से है ;
- (द) "राष्ट्रीय कैंडेट कोर" (एन0सी0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय कैंडेट कोर से है;
- (ध) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" (एन0सी0टी0ई0) का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से है ;
- (न) "राष्ट्रीय सेवा योजना" (एन0एस0एस0) का तात्पर्य राष्ट्रीय सेवा योजना से है ;
- ¹[(नक) "परिसर दूरस्थ केन्द्र" का तात्पर्य निजी विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर के बाहर राज्य के भीतर स्थापित निजी विश्वविद्यालय के किसी केन्द्र से है जो उसके घटक इकाई के रूप में संचालित तथा अनुरक्षित है, जिसमें विश्वविद्यालय की पूरक सुविधाएं, संकाय तथा कर्मचारीवृन्द है।"]

- (प) "भारतीय भेषजी परिषद्" (पी0सी0टी0) का तात्पर्य भारतीय भेषजी परिषद् अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् से है;
- (फ) "कुलाधिपति या अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति और "प्रति कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति" या "अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से है ;
- (ब) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;
- (भ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;
- (म) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा भारतीय भेषजी परिषद् सम्मिलित हैं;
- (य) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न "अनुसूची" से है;
- (कक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य :-
- (एक) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से है ;
- (दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास से है ;
- (तीन) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है ;
- 1[(चार) अन्य राज्यों के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी अथवा सार्वजनिक न्यास अथवा किसी कम्पनी से है;]
- (कख) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से है;
- (कग) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;
- (कघ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किया जाय;
- (कङ) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;
- (कच) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;
- (कछ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

3-इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों के लिये प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

- (क) न्यूनतम 5 (पाँच) करोड़ रुपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करना ;
- (ख) विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पचास एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक् रूप से धारित करना :

1[स्पष्टीकरण :- प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्था के नाम की भूमि भी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रयोजनार्थ प्रायोजित निकाय द्वारा सम्यक् रूप से धारित की गयी मानी जायेगी।

परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली हेतु ऐसी भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भाग का विक्रय, अन्तरण अथवा पट्टा नहीं करेगा और न ही इस अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग करेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखा जायेगा।

- (ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम चौबीस हजार वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल में भवन का निर्माण करना, जिसमें से कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;
 - (घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रुपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोग्य और गैर उपभोग्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पाँच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रुपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें [उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोग्य और गैर उपभोग्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित करना;
 - (ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों, सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे ;
 - (च) पुस्तकालय हेतु प्रत्येक वर्ष दस लाख रुपये मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन संसाधनों को क्रय करना :
- परन्तु यह कि दस लाख रुपये के व्यय में कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति अगले वर्ष में की जायेगी;
- (छ) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था करना;
 - (ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों और विनियमों के अनुरूप होना;
 - (झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना;
 - (ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना ;

- (ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई व्यवस्था इस अधिनियम तथा विनियामक निकायों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी;
 - (ठ) विश्वविद्यालय की पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और विनियामक निकायों से प्राप्त अनापत्तियों को सार्वजनिक करना;
 - (ड) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रारूप और समय पर राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध कराना ;
 - (ढ) सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर, नकल रोकने के उपायों, प्रवेशों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं प्रमाण-पत्रों आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अनुपालन करना;
 - (ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा फीस संरचना की पारदर्शी प्रक्रिया तथा मानक का विनिश्चय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा। प्रवेश का अंतिम दिनांक, सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार होगा।
- विदेशी छात्रों की प्रवेश नीति का विनिश्चय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार तथा विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप होगी;
- (त) यथाविहित सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करना ; और
 - (थ) इस अधिनियम के अनुरूप ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने का दायित्व ग्रहण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व अधिकथित किया जाय ;
 - (द) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप करने या उनका सम्बर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाये गये ऐसे किसी क्रियाकलाप के मामले में, इसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है :

4-(1) कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट से अन्तर्विष्ट आवेदन, प्रायोजक निकाय द्वारा, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

- (क) प्रायोजक निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा उपविधियों की प्रतियों सहित प्रायोजक निकाय का विवरण;
- (ख) प्रायोजक निकाय से वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धित सूचना तथा पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित लेखा;
- (ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम व स्थान;
- (घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;
- (ङ) भूमि की उपलब्धता और भवनों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण और भूमि, भवन तथा स्वामित्व प्राप्त करने तथा सृजन किये जाने हेतु प्रस्तावित अन्य अवसंरचना का विवरण;
- (च) विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने हेतु प्रस्तावित अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों की प्रकृति तथा उनका प्रकार और राज्य के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों तथा नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उनकी प्रासंगिकता और पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों सहित प्रथम पांच वर्षों से अधिक के ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया जाना ;
- (छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारियों सहित प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण ;

- (ज) प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्तावित सुविधाएं, पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान ;
- (झ) प्रायोजक निकाय को उपलब्ध सम्बन्धित शाखाओं में अनुभव तथा विशेषज्ञता ;
- (ञ) विश्वविद्यालय को क्रियाशील होने से पूर्व दायित्व ग्रहण किये जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजनाओं का विवरण यथा—भवन निर्माण, संरचनात्मक सुख सुविधाओं का विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों आदि का उपापन और प्रथम पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम;
- (ट) आगामी पांच वर्षों के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के लिये चरणबद्ध परिव्यय ;
- (ठ) साधन जुटाने की योजना सहित निधियों के स्रोत तथा उनकी पूंजीगत लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रतिसंदाय की रीति;
- (ड) प्रथम संचालन वर्ष में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;
- (ढ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली ;
- (ण) क्या विश्वविद्यालय का स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम उपक्रमित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने वाले विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की प्रकृति ;
- (त) क्या विश्वविद्यालय का कृषकों, महिलाओं तथा स्थानीय उद्योगों की प्रसुविधा के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाय ;
- (थ) खेल—कूद एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप यथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, रोवर एण्ड रेंजर आदि हेतु उपलब्ध तथा सृजित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रीड़ा स्थलों तथा अन्य सुविधाओं का विवरण;
- (द) शैक्षणिक उत्कृष्टता, यदि कोई हो, के लिये प्रस्तावित व्यवस्था;
- (ध) ऐसे अन्य विवरण, जिसे प्रायोजक निकाय देना चाहे;
- (न) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिश्चित किया जाय।

5—(1) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग एक समिति गठित करेगा, जो निम्नवत् होगी:—

मूल्यांकन
समिति द्वारा
प्रस्ताव का
मूल्यांकन
किया जाना

- (क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी राज्य विश्वविद्यालय का एक कुलपति;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विश्वविद्यालय का एक आचार्य;
- (ग) उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

- (घ) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त एवं लेखा-सेवा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी;
- (ङ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी ;
- (च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का एक कुलसचिव।

(2) समिति प्रायोजक निकाय की वित्तीय सबलता और आस्तियों तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित करने की उसकी सम्पूर्ण योग्यता सहित प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(3) समिति प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य सूचनाएं, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिये उचित समझे, मांग कर सकती है।

(4) समिति, अपने गठन के दिनांक से 03 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि यदि समिति, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले किन्ही पर्याप्त कारणों से उक्त 03 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर सके तो वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अग्रतर 01 माह या ऐसी अवधि जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाय, के भीतर प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के आदेशों के अधीन गठित किसी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण, उपधारा (1) के अधीन गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये निरीक्षण समझे जायेंगे।

6-(1) धारा 5 के अधीन गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण है तो वह आशय-पत्र जारी कर सकती है।

(2) प्रायोजक निकाय धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूर्ण करेगा और राज्य सरकार को उसकी अनुपालन आख्या प्रतिशपथ-पत्र के साथ आशय-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि प्रायोजक निकाय धारा 3 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को जारी किये गये आशय-पत्र को वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

7-(1) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन किया है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आशय-पत्र के अनुसार नाम और स्थान से संचालित करने की विश्वविद्यालय को अनुज्ञा दे सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये विश्वविद्यालयों के नाम, इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

आशय-पत्र का जारी किया जाना और प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना

नये विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन

(3) विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के पश्चात् नव स्थापित विश्वविद्यालय के नाम राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 2 में उल्लिखित अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखे जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

¹[7(क) कोई निजी विश्वविद्यालय ऐकिक विश्वविद्यालय होगा, जिसमें अध्यापन, अनुसंधान, परीक्षा और विस्तार सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं होंगी तथापि आपवादिक परिस्थितियों में अपना मुख्य परिसर विकसित करने के पश्चात् और अपने अस्तित्व में आने के पाँच वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिसर दूरस्थ केन्द्र खोलने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है :-

(क) 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से स्थापित किये जायेंगे। प्रायोजक निकाय, उच्च शैक्षिक संस्थान या राज्य में 'परिसर दूरस्थ केन्द्र' के लिये केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा भूमि और अन्य अवसंरचनात्मक तथा शैक्षणिक सुविधाओं के प्रतिमानों के सम्यक् अनुरूप होगा।

(ख) परिसर दूरस्थ केन्द्र (केन्द्रों) के समग्र कार्य निष्पादन का वार्षिक अनुश्रवण, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रबन्धन, शैक्षणिक विकास तथा समुन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्त बाध्यकारी होंगे।

(ग) उक्त केन्द्र/संस्थान निजी विश्वविद्यालय के घटक इकाई होंगे। तथापि निजी विश्वविद्यालय के पास उन्हें सम्बद्ध करने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) यदि उक्त केन्द्र (केन्द्रों) की कार्यप्रणाली असंतोषजनक रहती है तो निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्र (केन्द्रों) को बन्द करने के लिये अनुदेश दिया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के लिये बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में उसमें पहले से नामांकित छात्रों के हितों का संरक्षण किया जायेगा।]

²[परन्तु यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाई करते हुए विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था, राज्य में 'परिसर' स्थापित कर सकेगी। विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्था द्वारा ऊपर उल्लिखित विनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2021 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 2024 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

8-अनुसूची 1 में संख्यांकित विद्यमान विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन निगमित हुए माने जायेंगे।

9-विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त ग्रहण नहीं करेगा।

10-विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित के संवर्द्धन के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:-

- (क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धतियों और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;
- (ग) अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन ;
- (घ) राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता समेकन।

11-विनियामक निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित किये जाने वाले दिशा-निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;
- (ख) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;
- (ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमरिटस के अलंकरण से सम्मानित करना;
- (घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवं उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;
- (ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

विद्यमान
विश्वविद्यालयों
का निगमन
सम्बद्धता के
लिये प्रतिषेध

विश्वविद्यालय
के उद्देश्य

विश्वविद्यालय
की शक्तियाँ

- (च) विनियामक प्राधिकरणों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और तदनिमित्त नियुक्तियां करना ;
- (छ) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;
- (झ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;
- (ञ) शोध और शिक्षा के लिए स्कूलों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;
- (ट) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (ठ) आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;
- (ड) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (ढ) अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति संकाय, विभाग, केन्द्र या स्कूल स्थापित करना;
- (ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के अनुसार मानक अवधारित करना जिनके अर्न्तगत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;
- (त) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;
- (थ) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;
- (न) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;

- (प) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;
- (फ) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;
- (ब) वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना; और
- (भ) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

12—(1) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा अवधारित किये जाने वाले प्रतिमानों के अनुसार किया जायेगा।

**प्रवेश और
शैक्षणिक
मानक**

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक मानक, विनियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

13—विश्वविद्यालय सभी लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे:

**विश्वविद्यालय
सभी वर्गों
और
मतावलम्बियों
के लिए होगा**

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती और किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण, समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों तथा दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

14—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

**विश्वविद्यालय
के अधिकारी**

- (1) कुलाधिपति या अध्यक्ष;
- (2) प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष;
- (3) कुलपति;
- (4) प्रतिकुलपति;
- (5) कुल सचिव;
- (6) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (7) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

- (8) निदेशक;
- (9) परीक्षा नियंत्रक;
- (10) मुख्य कुलानुशासक;
- (11) वित्त अधिकारी; और
- (12) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जायें, विश्वविद्यालय के अधिकारी, होंगे।

15—(1) कुलाधिपति/अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रक्रिया तथा निबन्धन एवं शर्तों का अनुसरण करते हुये पाँच वर्ष की अवधि के लिये शासी निकाय द्वारा की जायेगी।

कुलाधिपति/
अध्यक्ष

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा, और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कुलाधिपति/अध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय बहुमत के विनिश्चय से तदनिमित्त कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलाधिपति/अध्यक्ष से आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है, ऐसे मामलों में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व कुलाधिपति/अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना ;
- (ख) इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कुलपति की नियुक्ति करना ;
- (ग) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

(6) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति/उपाध्यक्ष के वेतन की धनराशि से अनधिक दोगुनी धनराशि आहरित करेंगे।

16—(1) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की नियुक्ति, शासी निकाय के अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

प्रति—कुलपति
या उपाध्यक्ष

(2) कर्तव्यों के निर्वहन में प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष, क्रमशः कुलाधिपति/अध्यक्ष का सहयोग करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में हस्ताक्षर द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से तदनिमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष ऐसा वेतन आहरित करेगा जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/अध्यक्ष से कम होगा।

17-(1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी:

कुलपति

परन्तु यह कि कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(2) कुलपति पाँच वर्ष की अवधि के लिये या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जाँच, जैसा आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि उसका कुलपति बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय, तदनिमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुये कुलपति से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से लिखित आदेश द्वारा अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और वह कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा तथा अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये कार्यपरिषद् तथा अन्य सक्षम निकायों तथा राज्य सरकार के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष और प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदत्त हों तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे तथा तत्पश्चात अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र देगा, जो साधारण प्रक्रम में तीस दिनों की अवधि के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

(7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय।

18—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और अध्यादेशों और विनियमों में उपबंधित किया जाय।

प्रति कुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उत्तनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा कि प्रायोजक निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

19—(1) कुलसचिव की अर्हताएं, पदावधि, सेवा शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

कुलसचिव

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह समस्त ऐसी सूचना इन अधिकारियों के समक्ष रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा यथा विहित कार्यपरिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा किन्तु उसे इस उपधारा के आधार पर मत देने का हक नहीं होगा।

20—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

संकायाध्यक्ष

21—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

22—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

अन्य अधिकारी

23—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:—

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

- (1) शासी निकाय;
- (2) कार्यपरिषद्;
- (3) विद्या परिषद्;

- (4) वित्त समिति;
- (5) नियोजन बोर्ड;
- (6) संकाय बोर्ड,
- (7) अध्ययन बोर्ड,
- (8) प्रवेश समिति
- (9) परीक्षा समिति; और
- (10) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायें।

24—(1) शासी निकाय के गठन और सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाय।

**शासी
निकाय**

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा नियत दिनांक को शासी निकाय वर्ष में एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठक शासी निकाय की वार्षिक बैठक कही जायेगी :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष, जैसा उचित समझे, शासी निकाय के कुल सदस्यों के अन्तर्गत एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर शासी निकाय की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन, शासी निकाय विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके पास निम्नांकित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना,
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना तथा अपना मत कार्यपरिषद् को उपलब्ध कराना ;
- (ग) परामर्श हेतु सौंपे गये किसी मामले में अध्यक्ष को परामर्श देना;
- (घ) अन्य कार्यों, जो विहित किये जायें, का निष्पादन करना।

25—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगी।

कार्य परिषद्

(2) कार्यपरिषद् की बैठक उस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) विश्वविद्यालय के प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण तथा उसकी आय, कार्यपरिषद् में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को नियंत्रित और शासित करेगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन कार्यपरिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे :-

- (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करना;
- (दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करना ;
- (तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;
- (चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निस्तारण पर रखी गयी किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित करना;

(छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक संस्थित करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना ;

(आठ) परीक्षकों के मानदेय, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारिवृन्द के मध्य परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति तथा अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन, जिसमें विन्यासित सम्पत्ति सम्मिलित है, का विनिधान करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरण और अन्य वांछित साधित्र प्रदान करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें फेरबदल करना, उसे कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना;

(5) कार्यपरिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उसके कारणों सहित सूचित किया जायेगा।

(6) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा, जो निम्नलिखित अन्य सदस्यों से गठित होगी अर्थात् :-

(एक) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य;

(दो) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षा शास्त्री;

(तीन) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी से नीचे का न हो;

(चार) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय का एक आचार्य और एक सह आचार्य;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले तीन नामों के पैनल से सह आचार्य की श्रेणी से अनिम्न एक शिक्षा शास्त्री, जिसके लिये विश्वविद्यालय प्रख्यात शिक्षा शास्त्रीयों के तीन नामों की सूची प्रस्तुत करेगा;

(छः) कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा;

(सात) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु पक्ष में तथा अन्यथा रूप में बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

- (7) कार्यपरिषद् की बैठक की गणपूर्ति छः सदस्यों से कम नहीं होगी।
 (8) कार्यपरिषद् की किसी बैठक में विनिश्चय, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जाएंगे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव के बराबर होने की स्थिति में कुलपति के समर्थन वाला प्रस्ताव अभिभावी होगा;

26—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

विद्या परिषद्

(2) विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

27—(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

वित्त समिति

(2) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

28—(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।

नियोजन बोर्ड

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

29—संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाये, का गठन शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

संकाय बोर्ड,
अध्ययन बोर्ड,
प्रवेश समिति,
परीक्षा समिति
और
विश्वविद्यालय
अन्य प्राधिकरण

30—कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने से अनर्ह हो जायेगा, यदि वह :—

किसी निकाय
की सदस्यता
के लिए
अनर्हता

(1) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो/की गयी हो।

(2) अनन्मुक्त दिवालिया हो।

(3) नैतिक अद्यमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो/गयी हो।

(4) किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में कहीं भी अनुचित आचरण का बढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिए दण्डित किया गया हो/की गयी हो।

(5) वेतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी लाभ का हेतुक हो।

(6) विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोजित करता/करती हो।

31—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई विनिश्चय, कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तियों से
विश्वविद्यालय
के किसी
प्राधिकरण या
निकाय की
कार्यवाहियों
का
अविधिमान्य न
होना

32—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग—पत्र या उसे हटाये जाने के कारण अथवा हैसियत, जिसमें वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था, में परिवर्तन किये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति को यथाशीघ्र उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा जो ऐसे सदस्य को नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट किया हो :

आपात
रिक्तियों का
भरा जाना

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कोई आपात रिक्ति होने पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय का सदस्य केवल अवशेष अवधि तक के लिये बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

33—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप ऐसी समितियों या उप समिति का गठन, ऐसे निर्देश—निबन्धों के साथ, जैसा कि ऐसी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु आवश्यक हो, कर सकते हैं। ऐसी समिति या उप समिति का गठन तथा उनके कर्तव्य वही होंगे जैसा कि समिति या उप समिति का गठन करने वाले प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय।

समितियाँ

1[34—(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली कार्यपरिषद् द्वारा बनायी और अनुमोदित की जायेगी।

परिनियमावली
बनाने की
शक्ति

(2) यथोक्त प्रथम परिनियमावली, विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के छः माह के भीतर सूचनार्थ राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।]

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमावली में निम्नलिखित सभी या कोई विषय उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, जैसा कि समय—समय पर गठित किया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर निरन्तर बना रहना उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलें, जिनके लिए उपबन्ध किया जाना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कृत्य उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द की, एक संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें सेवानैवृत्तिक प्रसुविधाएं, बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक मामलें सम्मिलित हैं;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर विभागों, केन्द्रों और अन्य संस्थाओं आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार हों या विहित किये जायें।

(4) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

35-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

अध्यादेश बनाने की शक्ति

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों हेतु प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसूचीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक निकाय या संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाय, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(द) परीक्षकों, अनुसूचकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

36—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय को प्रस्तुत किया जायेगा और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ;

वार्षिक रिपोर्ट

(2) शासी निकाय वार्षिक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ कार्य परिषद् को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

37—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी लेखा-परीक्षा, प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अनधिक पन्द्रह माह के अन्तराल पर करायी जायेगी।

वार्षिक लेखा

(2) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक/लेखाओं की प्रति, कार्य परिषद् के प्रेक्षकों के साथ शासी निकाय और कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखाओं पर किये गये कोई प्रेक्षण, शासी निकाय और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाये जायेंगे और ऐसे प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् उन्हें कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन्हें सार्वजनिक कर दिया जायेगा।

38—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और किसी नियमित कर्मचारी के मध्य उठने वाला कोई विवाद कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो इसके निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उस पर उसका विनिश्चय, कुलपति द्वारा किया जायेगा।

39—(1) कोई व्यथित व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर, कुलाधिपति/अध्यक्ष को कर सकता है :

अपील करने का अधिकार

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास विलम्ब के लिये माफी देने की शक्ति होगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारणों से अपीलार्थी नियत समय के भीतर अपनी अपील नहीं कर सका था।

(2) ऐसी किसी अपील में कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

40-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये, ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनायें या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं का उपबन्ध करेगा, जैसा वह उचित समझे।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

41-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित विषय और संव्यहरण उसी रूप में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जायेंगे जहां वे यदि मूल रूप में प्रस्तुत किये जाते तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण होते।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

42-इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन

43-(1) प्रायोजक निकाय कम से कम 5 (पांच) करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी।

स्थायी विन्यास निधि

(2) स्थायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तदधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को समपूत करने की शक्ति निहित होगी।

(3) विश्वविद्यालय विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचनाओं के विकास हेतु अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु कर सकता है।

(4) विन्यास निधि की धनराशि को ऐसी लिखतों जैसा कि राज्य सरकार नियमावली द्वारा विहित करे, में विनिधानित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिधानित रखी जायेगी।

(5) दीर्घ अवधि की प्रतिभूति में विनिधान किये जाने के मामले में और राजकीय कोषागार के वैयक्तिक जमा लेखों में ब्याज जमा किये जाने के मामले में जमा इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उक्त धनराशि का आहरण या उपयोग नहीं किया जायेगा।

44-(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थात् :-

सामान्य निधि

(क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

45—(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-

विकास निधि

(क) विकास शुल्क, जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

46—इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियाँ कार्य परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेंगी।

निधियों का
अनुरक्षण

47—विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

विश्वविद्यालय
स्ववित्तपोषित
होगा

48—समस्त प्रयोजनों के लिये शुल्क संरचना का विनिश्चय कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के किसी विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित अथवा विनियामक निकायों द्वारा यथा नियत शुल्क से अधिक शुल्क अपने छात्रों से प्रभारित नहीं करेगा और शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी।

शुल्क

49—प्रोग्रामों के प्रारंभ होने के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का प्रत्यायन तथा ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें, प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण किये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हों, से भी प्रमाणन/प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालयों को प्रदान किये गये ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय-समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण सुनिश्चित करेगा।

विश्वविद्यालय
का प्रत्यायन

50—उपाधियाँ, डिप्लोमा प्रदत्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा यथा विहित रीति से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा।

दीक्षान्त
समारोह

51—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, नोडल अभिकरण होगी।

उत्तर प्रदेश
राज्य उच्च
शिक्षा परिषद्,
निजी
विश्वविद्यालयों
के लिये नोडल
अभिकरण होगी

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों के अभिलेख, उनके परिणाम और परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रों के अभिलेख, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराये जायेंगे। छात्रों को अंतिम उपाधि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रदत्त की जायेगी। उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के

नाम दीक्षान्त समारोह के दिनांक से 30 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे और परिषद उक्त सूची को अनुमोदित करेगी। यदि 20 दिन के भीतर परिषद के अनुमोदन की संसूचना, विश्वविद्यालय को नहीं दी जाती है तो सूची अनुमोदित की गयी समझी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या अभिलेखों को विनिर्दिष्ट दिनांक एवं समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिये कह सकता है, जिससे विफल होने पर उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों का कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण करेगी और विनिर्दिष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी वचनबद्धता के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

52—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त व्यवस्था और अन्य मामलों या क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

(2) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

53—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष की लिखित नोटिस देगा।

विश्वविद्यालय का विघटन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों के अन्तिम बैच द्वारा अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करने तक विश्वविद्यालय ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

54—(1) अधिनियम की धारा 53 के अधीन विश्वविद्यालय के देनदारियों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

(2) यदि इस प्रक्रिया के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय के व्यय और देनदारियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा आस्तियों का निस्तारण करके की जा सकती है।

55—(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त किसी वचनबद्धता को क्रियान्वित करने से प्रविरत हो गया है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरुपयोग किया गया हो तो वह उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को प्रारंभिक जाँच संचालित करने के लिये निर्देश जारी कर सकती है।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेश पर विश्वविद्यालय की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के समस्त या किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का अतिक्रमण हुआ है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता क्रियान्वित नहीं की जा रही है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरुपयोग किया गया हो तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या समिति को, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने के लिये, नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों में, विचारण के दौरान सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होगी, अर्थात् :-

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तथा तदनिमित्त सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये, आवश्यक सुधार करने के निदेश विश्वविद्यालय को देगी। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के ऐसे निदेश जारी करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवश्यक सुधार या उपान्तरण करने हेतु पुनः निदेश दे सकती है;

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के सभी अथवा किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है अथवा उपर्युक्त उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों सहित इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन किया है अथवा धारा 3 के अधीन उसके द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं का पालन करने से प्रविरत हो गया है या विश्वविद्यालय में निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरुपयोग किया गया हो, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक पर संकट उत्पन्न हो गया हो तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परिसमापन हेतु उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु त्रिसदस्यीय अन्तरिम समिति नियुक्त करेगी।

(7) (एक) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को तब तक प्रशासित करने की समस्त शक्तियां होंगी जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उस बैच के छात्रों को यथा स्थिति डिग्रियां, डिप्लोमा या पुरस्कार नहीं प्रदान कर दिये जाते हैं ;

(दो) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैच को यथा स्थिति उपाधि, डिप्लोमा एवं पुरस्कार, प्रदान कर दिये जाने के पश्चात अन्तरिम समिति राज्य सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(तीन) उपधारा (7) (दो) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त शेष आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

56-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों में निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही कर सकती है।

57-अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी उपबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अवशिष्ट आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिनमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि तथा देनदारियां सम्मिलित हैं, प्रायोजक निकाय से संबंधित हो जायेंगे।

58-(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई उपबन्ध हो सकता है/हो सकते हैं :-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने और संदेय आवेदन शुल्क का प्रस्ताव बनाने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किये जाने वाले अन्य विवरण;

(ग) अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन नियमावली द्वारा विहित किये जायं या हो सकते हैं।

59-(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः वैक्तिक निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्याधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ / देनदारियों की प्राप्ति

नियमावली बनाने की शक्ति

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

60—अधिनियम में किये गये उपबन्धों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

विवादों का
निपटारा उत्तर
प्रदेश के किसी
न्यायालय में
किया जायेगा

61—इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्ध विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल बात होते हुये भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का
अध्यारोही
प्रभाव होगा

62—(1) इस अधिनियम की अनुसूची-1 में पुनर्संख्यांकित समस्त अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निरसित समझे जायेंगे।

निरसन और
व्यावृत्तियाँ

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अनुसूची-1 में पुनर्संख्यांकित अधिनियमों के निरसित होते हुये भी निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये समस्त विनिश्चय निष्पादित अधिनियम, सृजित तथा समाप्तकृत अधिकार तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान समझे जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में निगमित किये गये विश्वविद्यालय अपने सम्बन्धित निरसित अधिनियमों के अधीन अपने परिनियमों, अध्यादेशों और तदनिमित्त प्रयोज्य विनियमों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उन्हें संगत बनाये जाने हेतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उपान्तर करेंगे।

63—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तर प्रदेश राज्य के धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे।

अल्पसंख्यक
निजी
विश्वविद्यालय

अनुसूची-1

(धारा 8 देखें)

क्र०	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1—	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2—	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3—	मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4—	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5—	तीर्थाकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थाकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6—	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7—	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8—	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9—	मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10—	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11—	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, आँकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12—	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे०पी० नगर।
13—	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14—	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।

	*[x x x]	[x x x]
15—	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.07.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
16—	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.06.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
17—	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
18—	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
19—	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
20—	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.03.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
21—	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.06.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
22—	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
23—	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
24—	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
25—	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
26—	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

* उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2022 की धारा 2 द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि क्रम-संख्या 15 की प्रविष्टि निकाल दी गयी तथा अनुसूची तदनुसार पुनर्संख्याकित कर दी गयी।

अनुसूची-2
(धारा 7 देखें)

क्र०	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1—	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2—	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.03.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3—	मंगलायतन विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4—	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.09.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5—	तीर्थाकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.09.2008	तीर्थाकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6—	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.03.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7—	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.09.2010	जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8—	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.09.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9—	मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10—	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11—	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई०एफ०टी०एम० विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12—	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वैकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे०पी० नगर।
13—	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14—	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.04.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
	*[x x x]	[x x x]

* उ० प्र० अधिनियम संख्या 4, 2022 की धारा 2 द्वारा अनुसूची की प्रविष्टि क्रम-संख्या 15 की प्रविष्टि निकाल दी गयी तथा अनुसूची तदनुसार पुनर्संख्याकित कर दी गयी।

[उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019]

15-	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.07.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
16-	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.06.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
17-	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
18-	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
19-	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
20-	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.03.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
21-	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.06.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
22-	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
23-	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
24-	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
25-	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
26-	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.09.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
1[27-	यूनाईटेड विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश	शिवराम दास गुलाटी मेमोरियल ट्रस्ट, प्रयागराज
28-	एफ0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	फूलन सिंह जन कल्याण ट्रस्ट, सीतानगर नगलाभाऊ, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
29-	महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय समिति, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश]

1[30]	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	रामकृष्ण एण्ड सन्स चैरिटीबुल ट्रस्ट, नई दिल्ली
2[31]	अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश	श्री जगदीश जन कल्याण एजुकेशनल ट्रस्ट, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश
32	महावीर विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश	न्यू ट्यूप्स एजुकेशनल सोसाइटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश
33	एस0डी0जी0आई0 ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	सुन्दर दीप एजुकेशनल सोसाइटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश]
3[34]	के0 एम0 (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश	श्री मोहन सिंह शिक्षा संस्थान, पौली डूंगरा सौंख, मथुरा, उत्तर प्रदेश
35	मेजर एस0 डी0 सिंह विश्वविद्यालय, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	श्री बाबू सिंह दहू जी एजुकेशनल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश]]
4[36]	टी0 एस0 मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	वेदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एज्यूटेक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश]]
5[37]	वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।	वरुणार्जुन ट्रस्ट केशलता हास्पिटल, डेलापार, बरेली, उत्तर प्रदेश]]
6[38]	एस0 के0 एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश	बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश]]
7[39]	'शारदा विश्वविद्यालय आगरा' आगरा, उत्तर प्रदेश	श्री आनन्द स्वरूप एजुकेशनल ट्रस्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश
40	सरोज इंटरनेशनल विश्वविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश	श्रीमती सरोज सिंह शिक्षण संस्थान, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
41	जे0एस0एस0 विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश	जे0एस0एस0 महाविद्यापीठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश]
8[42]	फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 2022 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

¹ [43]	जी० एस० विश्वविद्यालय हापुर, उत्तर प्रदेश	श्री जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
44	एच०आर०आई०टी० विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	हरीश चन्द्र रामकली चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश]
² [45]	चण्डीगढ़ विश्वविद्यालय, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	सी०यू० इंटरनेशनल एजुकेशनल ट्रस्ट, चण्डीगढ़]
³ [46]	विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश	विद्या बाल मण्डली सोसायटी, विद्या नॉलेज पार्क, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश]
⁴ [47]	विवेक विश्वविद्यालय, बिजनौर, उत्तर प्रदेश	शिविका एजुकेशनल सोसायटी, बिजनौर, उत्तर प्रदेश]
⁵ [48]	महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश	महर्षि रामायण, विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली
⁶ [49]	डॉ० के० एन० मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।	डॉ० के० एन० मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

-
1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
 2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
 3. उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
 4. उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 2024 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
 5. उ० प्र० अधिनियम संख्या 07, 2025 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
 6. उ० प्र० अधिनियम संख्या 09, 2025 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

उद्देश्य और कारण

शासनादेश, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न राज्य अधिनियमों द्वारा सत्ताइस निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। चूंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न उपबंध हैं और ऐसे निजी विश्वविद्यालयों के अनुश्रवण हेतु कोई समान उपबन्ध नहीं हैं। अतः सूचना तथा अभिलेख संग्रहीत करने और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना तथा उन्हें प्रवृत्त करना कठिन हो गया है।

अतएव, किसी एक ही विधि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने हेतु एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।
